



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092020-221839
CG-DL-E-19092020-221839

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2842]

नई दिल्ली शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942

No. 2842]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3190(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में, पैरा 2 में, शर्त के बाद, निम्नलिखित शर्त को सम्मिलित किया जाएगा, नामतः-

“बशर्ते कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के प्रावधानों के तहत वाहन निर्माता द्वारा भारत में आयात किए गए वाहन में उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा ग्लास पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।”

[फा.सं .11(1)/2018-सीआई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट : प्रमुख आदेश का.आ. 1045(अ), दिनांक 12 मार्च 2020 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत प्रकाशित हुआ था और अंतिम संशोधित अधिसूचना संख्या का.आ. 2018(अ), दिनांक 23 जून 2020 को हुआ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Safety glass (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) This Order may be called the Safety Glass (Quality Control) Second Amendment Order, 2020.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Safety Glass (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 2, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that nothing in this Order shall apply to safety glass used in the vehicle imported in India by vehicle manufacturer under the provisions of rule 126 of Central Motor Vehicle rules, 1989”.

[F.No. 11(1)/2018-CI]
ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Part II, Section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 1045(E), dated the 12th March, 2020 and last amended vide notification number S.O. 2018(E), dated the 23rd June, 2020.